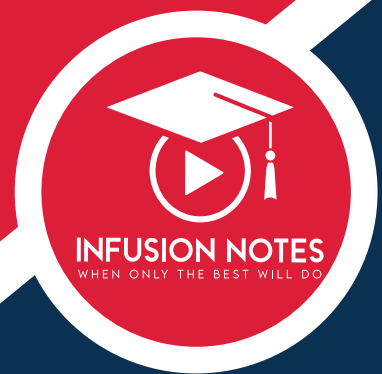




राजस्थान P.T.I. ग्रेड - 3rd (पेपर - 1)

(शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)

HANDWRITTEN NOTES

भाग - 2 सामान्य ज्ञान (भारत+विश्व) + राजव्यवस्था +
शिक्षा मनोविज्ञान + विविध

LATEST EDITION



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान P.T.I. ग्रेड - 3rd

(शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)

पेपर - 1

भाग - 2

सामान्य ज्ञान (भारत + विश्व) + राजव्यवस्था +
शिक्षा मनोविज्ञान + विविध

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान P.T.I. (शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)” (3rd Grade) को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान P.T.I. (शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)” (3rd Grade) भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

विश्व भूगोल

1. महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं	1
2. वैश्विक पवन प्रणाली	17
3. पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ	20
4. भारत एवं वैश्विक रणनीति	43
5. वैश्वीकरण और इसके प्रभाव	57
6. जनसंख्या वितरण और प्रवास	61
7. भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ	68
8. वैश्वीकरण और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह	74

भारत का सामान्य ज्ञान

1. स्थिति एवं विस्तार भौतिक विशेषताएं	76
2. मानसून प्रणाली	89
3. जल निकासी (अपवाह तंत्र)	94
4. भारत में कृषि एवं उद्योग	102
5. राष्ट्रीय आय और उत्पाद	114
6. गरीबी	119
7. केंद्र सरकार की योजनाएँ	120
8. भारत की विदेश नीति	125

भारतीय संविधान

1. भारत सरकार के 1919 और 1935 के अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास	130
2. राष्ट्रीय आंदोलन में गाँधी का योगदान	131
3. अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण	136
4. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं	139
5. मौलिक अधिकार	141
6. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत	151
7. मौलिक कर्तव्य / मूल कर्तव्य	154
8. भारतीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री	155
9. भारत का संघीय सिस्टम	182
10. राजनीतिक दल	188

शिक्षा मनोविज्ञान एवं राजस्थान विविध

1. शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय	193
2. कक्षा में अध्यापकों की भूमिका	201
3. बाल विकास शिक्षार्थी का विकास	205
4. अधिगम(सीखना)	224
5. व्यक्तित्व	237
• समायोजन एवं कुसमयोजन	
6. बुद्धि एवं सृजनात्मकता	249

7. अभिप्रेरणा	265
8. व्यक्तिगत विभिन्नताएं	267
• पिछड़े प्रतिभाशाली , सवेद , नशील इत्यादि बच्चे	
9. शिक्षण अधिगम	275
10. समावेशी शिक्षा	284
11. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना - 2005	287
12. आकलन, मापन एवं मूल्यांकन	292
13. शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009	299
14. भारत की नई शिक्षा नीति 2020	302
15. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	304
16. अभिरुचि, स्मृति, चिंतन एवं कल्पना	309
विविध	315

विश्व भूगोल

अध्याय - 1

महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं

महाद्वीप Continents

- समुद्र तल से ऊपर उठते हुए पृथ्वी के विशाल भू-खंड को महाद्वीप कहते हैं।
- प्रति पर मुख्यतः सात विशाल भू-खंड हैं अथवा महाद्वीप हैं - एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया।
- एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
- एशिया और यूरोप यूराल पर्वत और युवराज नदी के द्वारा एक-दूसरे से अलग होते हैं।
- अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
- अफ्रीका को एशिया से स्वेज नहर अलग करती है।
- अफ्रीका महाद्वीप के पीछे विषुव वृत्त (Equator) गुजरता है इसलिए अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है।
- उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा पर मिलते हैं।
- संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है।
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है।
- ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं।
- अटलांटिका का क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है।
- अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग केंद्र में दक्षिणी ध्रुव स्थित है।
- अटलांटिका महाद्वीप की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहां मनुष्य स्थायी रूप से नहीं बसा है।
- उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध को भी कहते हैं।
- इस गोलार्ध में पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग का 8.5 प्रतिशत भू-भाग विद्यमान है।

एशिया :

- एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर तीन प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं।
- एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर हैं। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं।
- लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है।
- बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है।
- यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या (सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप) निवास करती है।
- एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारालैंड (रूस एवं चीन) और गोंडवाना - लैंड (प्रायद्वीपीय भारत) स्थित हैं।
- एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं - अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
- एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट (8,850 मीटर) है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं।
- विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 200,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है।
- एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार 'पामीर' है जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत (Roof of the World) कहते हैं।
- एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है।
- एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है।
- एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है।
- एशिया के स्थलरुद्ध (जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती) देश हैं - कजाकिस्तान, अफगानिस्तान,

मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है, यह पूर्व फ्रांसीसियों का उपनिवेश था।

- एशिया में सबसे लंबी नदी यांग्सी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर (397 मीटर) की है।
- एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त (11,022 मी.) गहरा है।
- विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील (धरातल से 1,940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1,485 मीटर गहरा) एशिया में स्थित है।
- विश्व की सबसे बड़ी झील (आंतरिक सागर) कैस्पियन सागर(3,71,800 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत) एशिया महादेश में ही स्थित है।

नोट: रूस की एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही हैं।

- एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगग झील (4,267 मीटर ऊंचा) लद्दाख वह तिब्बत में स्थित है।
- एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम (11,405 मिमी.) मेघालय, भारत में है। (इससे पहले चेरापूँजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था)
- विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिगहाये प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है।
- महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है।
- एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किमी है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफार्म था।
- चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। (दूसरा स्थान- जापान)
- विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांग कांग है।
- विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है।

- प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं - हागहों, आमूर, सिक्याग और यागटी-सी - क्याग।
- आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं (जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है) लीना,ओबे, येनेसी।
- भूमध्य सागर जलवायु के एशियाई देश- साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान।
- एशिया के सबसे घना बसा द्वीप जावा है।
- एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है।
- एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है।
- एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस -साइबेरियन रेल मार्ग है यह लेनिनग्राद से ब्लाडीवोस्टक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किमी. है।
- एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान (Siikan) में है, जो 53.85 किमी लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है।
- एशिया का सबसे बड़ा खर -उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है।
- एशिया के देश चीन तंबाकू,गेहूँ, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है।
- एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पा ले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है।
- एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक खर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है।
- एशिया का सबसे अधिक टिन -उत्पादक देश मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह (किन्ता - केलांग घाटी) टिन खनन का प्रमुख केंद्र है।
- एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है।
- आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरूमध्य बेरिंग जलडमरूमध्य (अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच) है।
- जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप स्थित है जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और यह लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा-नू-यू मनाते हैं।
- बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानान्तर स्थित है।

- विश्व में सिचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है।
- म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।
- स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस थाईलैंड- आते हैं।

अफ्रीका (Africa)

- एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है।
- अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली बड़ी नहर स्वेज है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वृत्त (Equator) बीच से गुजरता है, इसलिए इसका आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है।
- अफ्रीका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 2,97,85,000 वर्ग किमी है। इसमें 54 देश हैं।
- अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल क्षेत्र का 20.4% है।
- अफ्रीका महाद्वीप को 1940 ई० से पूर्व अंध महाद्वीप (dark continent) कहा गया।
- अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर विषुवत रेखा और सुदूर उत्तरी और दक्षिणी सीमा पर कर्क और मकर रेखाएँ गुजरती हैं अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर रेखाएँ गुजरती हैं।
- अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार 37° अक्षांश से 35° अक्षांश के मध्य एवं 18° पश्चिमी देशांतर 51° पूर्वी देशांतर के मध्य है।
- अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जिसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे गर्म स्थल अलअजीजियाह (लीबिया) स्थित है।
- अफ्रीका महाद्वीप में किम्बले खान (दक्षिणअफ्रीका) विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है।
- अफ्रीका महाद्वीप का जोहान्सबर्ग नामक नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है।
- अफ्रीका महाद्वीप का ट्रांसवाल क्षेत्र विश्व की प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।
- अफ्रीका महाद्वीप का जायरे (वर्तमान में कांगो) वर विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादक देश है।

- अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र देश विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश है।
- अफ्रीका महाद्वीप का आइवरी कोस्ट देश विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है।
- अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक कसाबा उत्पादित करने वाला देश नाइजीरिया है।
- अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है।
- अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में विश्व विख्यात जेब्रा और जिराफ नामक मिलते हैं।
- अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान 'सवाना' और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्डस कहलाते हैं।
- अफ्रीका में बुशमैन (कालाहारी), पिग्मी (कांगो बेसिन), बददू (सहारा मरुस्थल) में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ हैं।
- अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेलमार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक पहुंचता है।
- अफ्रीका के पर्वतों में एटलस इकन्सबर्ग प्रमुख है। यहां का ज्वालामुखी पर्वत किलीमंजारो है।
- अफ्रीका में अबीसीनिया का पठार व दक्षिण अफ्रीका का पठार स्थित है।
- अफ्रीका की प्रमुख नदियों में नील, कांगो, नाइजर, जैम्बेजी आदि हैं।
- *अफ्रीका की प्रमुख झीलों में विक्टोरिया, एलबर्ट, कीबु, टांगानीका न्यासा, स्डोल्फ, वोल्टा चाड आदि हैं।
- अफ्रीका के प्रमुख बंदरगाहों में काहिरा, सिकंदरिया, त्रिपोली, अल्जीरिया, दार-ए-वीदा, डाकर, लागोस, लुआंडा, कैपटाउन, पोर्ट-एलिजाबेथ, डरबन, मापूतो, बीरा, मोम्बासा, मुगादिशो, पोर्ट सूडान, मोसावा आदि प्रमुख हैं।
- अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है।
- अफ्रीका में कांगो नदी विषुव रेखा को दो बार पार करती है।
- अफ्रीका में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड तथा स्फिंक्स की मूर्ति काहिरा मिस्र के निकट है।
- अफ्रीका के मिस्र देश में स्वेज नहर है, जो लाल सागर से भूमध्य सागर से मिलाती है नहर का निर्माण 1869 ई० में किया गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किमी दूरी की बचत होती

• महासागर

पृथ्वी का जल से ढका भाग जलमण्डल कहलाता है।

पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर जलमण्डल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्द्ध के लगभग 40% तथा दक्षिणी गोलार्द्ध के 81% भाग पर जलमण्डल का विस्तार है।

जलमण्डल को आकार और स्थिति की दृष्टि से महासागर (Ocean), सागर

a), खाड़ियों (straits) आदि में विभाजित किया जाता है।

जलमण्डल के अंतर्गत प्रमुख रूप से चार महासागर हैं—प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिन्द महासागर, आर्कटिक महासागर।

प्रशांत महासागर

यह पृथ्वी का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है, जो लगभग 1,65,246,200 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

प्रशांत महासागर की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष उत्तर में बेरिंग के मुहाने पर है।

प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप हैं।

प्रशांत महासागर के बेसिन के अधिकांश भागों की गहराई लगभग 7,300 मीटर तक है।

8. जलमण्डल

प्रशांत महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा है जिसकी औसत गहराई 5,000 से 6,000 मीटर है। प्रशांत महासागर में मिडनाओ गर्त की गहराई 10,000 मीटर से भी अधिक है। अटाकामा तथा टोंगा गर्त क्रमशः लगभग 8,000 और 9,000 मीटर गहरे हैं। अल्युशियन, क्युराइल, जापान तथा बेनिन महत्त्वपूर्ण गर्त हैं जिनकी गहराइयाँ 7,000 से 10,000 मीटर तक हैं।

अटलांटिक महासागर

अटलांटिक महासागर आकार में प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। यह सम्पूर्ण संसार के लगभग छठे भाग में विस्तृत है।

अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर 'S' से मिलती-जुलती है।

अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 82,441,500 वर्ग किमी है।

अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित हैं। दक्षिण में यह खुला हुआ है और अंटार्कटिका महाद्वीप तक विस्तृत है। उत्तर में यह ग्रीनलैण्ड, आइसलैण्ड तथा अन्य छोटे द्वीपों से घिरा हुआ-सा लगता है।

अटलांटिक महासागर के बेसिन का प्रमुख स्थलाकृतिक लक्षण “मध्य अटलांटिक कटक” है। यह लगभग 14,000 किमी लम्बा तथा लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है। यह खिंचाव एवं भ्रंशन से बना है। इस कटक का उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग चैलेन्जर श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। अजोर्स का पाइको द्वीप मध्य अटलांटिक कटक का सर्वोच्च भाग है।

अटलांटिक महासागर में उत्तरी केमन तथा पोर्टोरिको नामक दो द्वीपियाँ और रोमांश तथा दक्षिणी सैंडविच नामक दो गर्त हैं।

अटलांटिक महासागर में बरमुडा सदृश कुछ प्रवाल द्वीप तथा असेंसन, ट्रिस्ता दी कान्हा, सेंट हेलेना और गुआ सदृश अनेक ज्वालामुखी द्वीप हैं।

हिन्द महासागर

हिन्द महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से पृथ्वी पर तीसरा सबसे महासागर है।

हिन्द महासागर का क्षेत्रफल 73,442,700 वर्ग किमी है और इसकी औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर है।

हिन्द महासागर उत्तर की ओर एशिया महाद्वीप द्वारा घिरा हुआ है। इस कारण इसे अर्द्ध-महासागर भी कहा जाता है।

हिन्द महासागर के नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक हैं। कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण की ओर लगातार अंटार्कटिका महाद्वीप तक एक प्रमुख जलमग्न कटक है। यह उत्तर में लक्षद्वीप-चागोस कटक, मध्य में सेंट पाल कटक तथा दक्षिण में एम्सटर्डम सेंट पाल पठार के नाम से जाना जाता है।

हिन्द महासागर के मध्य कटक से कई छोटे शाखा-कटक निकलकर अफ्रीका और भारत के तटों तक फैले हुए हैं। हिन्द महासागर बेसिन में दो छोटे और समानांतर कटक उत्तर की ओर फैले हैं। इन्हें सोकोत्रा-चागोस कटक तथा सेशेल्स कटक कहते हैं। मेडागास्कर द्वीप से दक्षिण की ओर फैले हुए कटक को दक्षिणी मेडागास्कर कटक कहते हैं। यह दक्षिण में चौड़ा हो गया है, जहाँ इसे प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक कटक, जिसे अण्डमान-निकोबार कटक कहते हैं, इरावदी नदी के मुहाने से निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। अरब सागर को दो भागों में विभक्त करने वाला कटक कार्त्सबर्ग कटक कहलाता है।

हिन्द महासागर को मध्यस्थ तथा अन्य कटक अनेक बेसिनों में बाँटते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-मध्य बेसिन, अरब बेसिन, दक्षिण भारतीय बेसिन, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन बेसिन तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलियन बेसिन

हिन्द महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं - अंडमान तथा, निकोबार द्वीपसमूह, श्रीलंका, मेडागास्कर तथा जंजीबार।

लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के तथा मॉरीशस और रैयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीपों के उदाहरण हैं।

हिन्द महासागर का पूर्वी भाग द्वीपों से लगभग खाली है।

हिन्द महासागर को प्रायद्वीपीय भारत दो भागों में क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बाँट देता है।

हिन्द महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से मिल जाता है

हिन्द महासागर का सर्वाधिक गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है।

हिन्द महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी खास देश के (हिन्दुस्तान) के नाम पर पड़ा है

आर्कटिक महासागर

आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है।

आर्कटिक महासागर अत्यधिक ठण्ड के कारण वर्ष के अधिकांश समय तक हिम से जमा रहता है

अंटार्कटिका महासागर

अंटार्कटिका महासागर दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है

अंटार्कटिका महासागर अटलांटिक, प्रशांत और हिन्द महासागर के दक्षिणी भागों से मिलकर बना है।

अंटार्कटिका महासागर में वर्ष-भर बर्फ जमा रहता है और अत्यधिक ठंड पड़ती है।

विश्व के प्रमुख महासागर और सागर

नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	प्रतिशत
1. महासागर Oceans		
1. प्रशांत महासागर	1,65,246,200	45.77
2. अटलांटिक महासागर	82,441,500	22.83
3. हिन्द महासागर	73,442,700	20.34
4. आर्कटिक महासागर	14,090,100	3.9

	योग 3,35,220,500	92.85
II. अन्तर-महाद्वीपीय सागर inter-continental seas		
1. मालय सागर	8,143,100	2.26
2. मध्य अमेरिकन सागर	4,319,500	1.21
3. भू-मध्य सागर	2,965,900	0.82
	योग. 15,428,500	4.29
III. छोटे बंद सागर Smaller Enclosed Seas		
1. हडसन सागर	8,143,100	2.26
2. लाल सागर	4,319,500	1.21
3. बाल्टिक सागर	2,965,900	0.82
4. परसियन खाड़ी	योग. 15,428,500	4.29
IV. तटीय समुद्र Fringing Seas		
1. बेरिंग सागर	2,268,200	0.62
2. ओखोटस्क सागर	1,527,600	0.42
3. पूर्व चीन सागर	1,249,200	0.34
4. जापान सागर	1,007,700	0.28
5. अण्डमान सागर	79,600	0.22
6. उत्तरी सागर	575,300	0.17
7. लेयूरेन्टीयन सागर	237,800	0.06
8. इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर	178,500	0.05
9. बेस सागर	74,800	0.02
	योग 8,078,900	2.22

विश्व के आन्तरिक जलमार्गों के विकास

- महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में स्थित नदियाँ तथा झीलें विश्व में आन्तरिक जलमार्ग के प्रमुख साधन हैं। आन्तरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई-गहराई, जल-प्रवाह की निरन्तरता व प्रयुक्त परिवहन तकनीक पर निर्भर करता है। आन्तरिक जलमार्गों के लिए ऐसी नदियाँ तथा झीलें उपयुक्त मानी जाती हैं, जिनमें -
वर्ष पर्यन्त पर्याप्त जल रहता है।
जल की पर्याप्त गहराई होती है।
तली का ढाल धीमा होता है।
नदियों का जल गादमुक्त रहता है।
यही कारण है कि विश्व के जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी-बड़ी नदियाँ मिलती हैं, उनका उपयोग जल परिवहन हेतु किया जाता है।

अध्याय - 2

वैश्विक पवन प्रणाली

विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, प्रकृति एवं उनके स्थान: :-

स्थानीय पवनें किसे कहते हैं?

स्थानीय धरातलीय बनावट, तापमान एवं वायुदाब की विशिष्ट स्थिति के कारण स्थावत: प्रचलित पवनों के विपरीत प्रवाहित होने वाली पवनें “स्थानीय पवनो” या “स्थानीय हवाएँ” (local winds) के रूप में जानी जाती हैं। इनका प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों पर पड़ता है। ये क्षोभमण्डल (Troposphere) की सबसे नीचे की परतों तक सीमित रहती हैं।

नोट: क्षोभमण्डल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है।

व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं?

दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात् उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों (Subtropical high Pressure zone) से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध (Equatorial low Pressure zone) की ओर दोनों गोलार्द्धों में वर्ष भर निरन्तर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन (Trade winds) कहा जाता है। ये पवन वर्ष भर एक ही दिशा में निरन्तर बहती हैं। सामान्यतः इस पवन को उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा दक्षिण गोलार्द्ध में दक्षिण से उत्तरी दिशा में प्रवाहित होना चाहिए, किन्तु फेरल के नियम (Ferrel's law) एवं कोरोऑलिस बल के कारण “ये हवाएँ पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर मुड़ जाती हैं।”

व्यापारिक पवनों की विशेषताएं:

- व्यापारिक पवनों को अंग्रेजी में ‘ट्रेड विंड्स (Trade winds)’ कहते हैं। यहाँ ‘ट्रेड’ शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य ‘निर्दिष्ट पथ (Specified way)’ या ‘मार्ग’ से है। इससे स्पष्ट है कि ये हवाएँ एक निर्दिष्ट पथ पर वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं।

- उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर होती है।
- नियमित दिशा में निरंतर प्रवाह के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में इन हवाओं से काफी मदद मिलती थी, जिस कारण इन्हें व्यापारिक पवन कहा जाने लगा था।
- भूमध्य रेखा के समीप दोनों व्यापारिक पवन आपस में मिलकर अत्यधिक तापमान के कारण ऊपर उठ जाती हैं तथा घनघोर वर्षा का कारण बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचते-पहुँचते ये जलवाष्प से पूर्णतः संतुष्ट हो जाती हैं।
- व्यापारिक पवनों का विश्व के मौसम पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है।

➤ चिनुक

पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलारेडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। इस हवा का औसत तापक्रम 40 डिग्री फा० होता है। इस हवा के आगमन से तापक्रम में अचानक बढ़ने लगती है तथा कभी-कभी तो तापमान मिनटों में 34 डिग्री फा० तक बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप धरातल पर बर्फ अचानक पिघलने लगती है। यह पशु पालकों के लिये लाभदायक होती है क्योंकि इससे बर्फ पिघल जाती है और घास उग जाती है। इस कारण इस पवन को हिमभक्षी भी कहते हैं।

➤ फॉन

यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विटजरलैंड में होता है।

➤ सिराको

यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिराको हवा बालू के कणों से युक्त होती है, तथा सागर से नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा करती है तो इन बालू के कणों के

कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती हैं। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं।

➤ सिमूम

यह अरब के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है।

➤ हरमटून

हरमटून सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। हरमटून के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट सुहावना हो जाता है। हरमटून द्वी भाषा के शब्द "हरमाटा" से लिया गया है।^[3] इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को डाक्टर वायु के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह वायु इस क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है। इस प्रकार की पवन को उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फारस की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में शामाल कहा जाता है। इस हवा से फसल को नुकसान का खतरा होता है।

➤ ब्रिकफिल्डर

यह आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है।

➤ साण्टा आना

साण्टा आना हवाएं मजबूत, बेहद शुष्क डाउन - ढलान वाली हवाएं हैं जो अंतर्देशीय उत्पत्ति करती हैं। वे ग्रेट बेसिन में ठंडा, सूखे उच्च दबाव वाले वायु द्रव्यमान से निकलते हैं। सांता आना हवाओं को गर्म, सूखे मौसम के लिए जाना जाता है जो वे शरद ऋतु (अक्सर साल के सबसे गर्म) में लाते हैं, लेकिन वे वर्ष के अन्य समय में भी पैदा हो सकते हैं। यह कम आर्द्रता, गर्म, संपीड़ित-गर्म हवा द्रव्यमान के साथ संयुक्त, उच्च हवा की गति, गंभीर आग मौसम की स्थिति पैदा करते हैं। यह "शैतान हवाओं" के रूप में भी जाना जाता है सांता आना क्षेत्रीय जंगल की आग को फैलाने के लिए कुख्यात है। साण्टा आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में साण्टा आना पवन यह

अध्याय - 4

भारत एवं वैश्विक रणनीति

भारत - अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध

परिचय:- भारत और अमेरिका दोनों देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। शीत युद्ध के दौरान से ही इन दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंध बन गया था। इस संबंध को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार अमेरिका दौरें भी किए और कई बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति से वार्ता कर इन दोनों देशों के संबंध को मजबूत भी बनाया। इसी वजह से भारत और चीन के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत की खुली मदद भी कर दिया। 1965 के युद्ध से पहले भारत को अमेरिका के सैन्य संबंधी पूर्ण सहयोग मिल चुका था। इसके बाद 1971 में रूस के शांति वार्ता सम्मेलन में अमेरिका ने भारत से अपना संबंध तोड़ कर अपना संबंध चीन और पाकिस्तान से जोड़ लिया और भारत पर शांति और दोस्ती का दबाव बनाने लगा। 1974 में भारत ने जब पहली बार अपना परमाणु प्रशिक्षण किया तब यह संबंध और भी खराब हो गई थी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु शक्ति हो। 1978 में अमेरिका ने भारत के सभी परमाणु शक्ति को खत्म कर दिया। जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने फिर दोबारा से भारत और अमेरिका का संबंध वापस बनने लगा और 1990 में यूएसएसआर के सम्मेलन में यूएसएसआर ने इसकी घोषणा कर दी थी। जो अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार बनी तभी भारत ने 1998 में पोखरण में दोबारा एक परमाणु प्रशिक्षण किया जिससे भारत को संपूर्ण सफलता मिली थी और भारत एक मजबूत देश की सूची में अपना एक स्थान ले लिया। 2000 ईस्वी में जब बिल क्लिंटन भारत दौरें पर आए तब उन्होंने भारत अमेरिका के संबंधों को और भी मजबूत बनाने की बात कही जो भारत के लिए 21 वीं शताब्दी का बहुत ही अच्छा प्रभाव माना गया।

भारत अमेरिका संबंध 2000 ईस्वी:-

चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए अमेरिका ने मजबूरी बस भारत से अच्छे संबंध बनाएं क्योंकि अमेरिका या जानता था कि एशिया महाद्वीप में अगर चीन को नीचे करना है तो उसके लिए भारत से संबंध मजबूत करना ही होगा। 2001 में 9 दिसंबर को अमेरिका में आतंकवादी हमला के दौरान भारत ने अमेरिका को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया और समर्थन करते ही इन दोनों देशों के बीच में संबंध और भी मजबूत हो गया फिर 2004 में भारत को अमेरिका के रक्षा सामग्री की आपूर्ति होने लगी और इसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने जिस भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए नीचे दिखाया था 2005 में भारत के शक्ति को देखते हुए बिना किसी हस्ताक्षर के परमाणु उपकरण मुहैया करवाना चालू कर दिया और यह समझौता केवल ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत नहीं बनाता है बल्कि भारत अमेरिका के संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। ओबामा के 2010 के भारत दौरें में भी यह कहा गया कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

- 1949:- भारत ने अमेरिका के खिलाफ चीन को मान्यता दिया।
- 1962:- केनेडी प्रशासन ने भारत को खुला समर्थन दिया।
- 1965:- अमेरिकी कांग्रेस ने पीएल 480 को रद्द किया।
- 1968:- भारत में परमाणु और प्रसार समझौते को खारिज किया।
- 1974:- भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया।
- 1978:- संयुक्त राष्ट्र ने भारत को परमाणु सहायता देना बंद कर दिया।
- 1998:- भारत में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया।
- 1998:- भारत अमेरिका के बीच रक्षा समझौता मजबूत हुई।
- 2006:- भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता का हस्ताक्षर हुआ।

- 2006:- भारत को नाभिकीय ईंधन संग्रह करवाने की अनुमति मिली।
- 2007:- 23 जुलाई 2007 को भारत-अमेरिका असेंन्य परमाणु ऊर्जा 123 समझौता संपन्न हुआ।
- 2008:- 2 अक्टूबर 2008 को यह समझौता पर पूर्णता हस्ताक्षर हुआ।
- 2010 भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक होकर लड़ाई करने की बात कही गई।

भारत के लिए अमेरिका का महत्व निम्न है:-

1. **आर्थिक:-** अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और भारत इस से मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बना सकता है।

आर्थिक सहयोग:-

- द्विपक्षीय व्यापार में 2016 में दोनों देशों के बीच 115 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ उसके बाद 2017 में 10.4% की वृद्धि के साथ 126 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि 2017 में दोनों देशों को 27.3 बिलियन डॉलर का घाटा भी हुआ। 2017 में भारत अमेरिका का 15 वा सबसे अच्छा निर्यात बाजार बन गया।
 - 2016-17 में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी निवेश का स्रोत बन गया।
2. चीन को प्रति संतुलित के लिए तथा काराकोरम निर्माण पर रोक लगाने के लिए भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा होना अति आवश्यक है।
 3. आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने के लिए इन दोनों देशों का संबंध होना जरूरी है।
 4. आधुनिक हथियार के लिए भारत का अमेरिका से संबंध बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
 5. हिंद महासागर की सुरक्षा और चीन मॅरिटाइम को रोकने के लिए इन दोनों देशों का संबंध होना अति आवश्यक है।
 6. भारत में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नई तकनीक का निवेश लाना भी आवश्यक है। हाल ही में अमेरिका ने इलाहाबाद, अजमेर, और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारत को नई तकनीक मुहैया कराने की घोषणा भी किया है।

7. ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक सहयोग और संगठन के स्तर को बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा होना अति आवश्यक है।

भारत अमेरिका के बेहतर संबंध के लिए महत्वपूर्ण प्रयास निम्न है:-

1. **टू प्लस टू वार्ता:-** सितंबर 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में शुरू की गई टू प्लस टू वार्ता जिसमें दोनों देश के विदेश और रक्षा मंत्रालय एक साथ बात कर रहे हैं। जिसमें हिंद महासागर की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ अभियान, सूचनाओं का आदान-प्रदान बिंदु रखा गया है।
2. **डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनीशिएटिव:-** यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच 2005 में हुआ था जो कि 10 वर्षों के लिए था लेकिन भारत सरकार ने 2015 में अमेरिकी सरकार से वार्ता कर इसकी अवधि 2025 तक बढ़ा दी है। यह समझौता आधुनिक हथियारों का से उत्पादन और विकास के लिए किया गया है।
3. वर्ष 2016 में अमेरिका द्वारा भारत को अपना प्रमुख सामरिक भागीदार बनाना।
4. **GSOMIA:-** भारत और अमेरिका के बीच सूचनाओं की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए यह समझौता होना।
5. **LEMO:-** यह समझौता दोनों देशों के बीच एक दूसरे के सैनिक एवं जहाजों को हारने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।
6. **QUAD:-** अमेरिका जापान भारत और चीन ने मिलकर इसकी स्थापना की ताकि चीन को प्रति संतुलित किया जा सके।

भारत और अमेरिका के बीच तनाव उत्पन्न करने वाले प्रमुख बिंदु:-

1. जनरलाइज्ड सिस्टम और प्रिफरेंस:- भारत का GSP का दर्जा अमेरिका के द्वारा वापस लेना।
2. ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा:- ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायि है जो कि सबसे ज्यादा विकसित देश में ग्रीनहाउस गैस का उत्तरदाई

अमेरिका है। इसीलिए भारत का यह मानना है कि विकसित और विकासशील देश में अंतर किया जाए।

3. अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी:- डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी घोषणा में कहा था कि वह अमेरिका को प्रथम वरीयता देगा। जहां पर भी द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रोजगार, सामरिक सहयोग की बात होगी वहां अमेरिका उन कंपनी को वरीयता देगा जो अमेरिका के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भागीदार होगा। जो कि विश्व व्यापार संगठन के नियम के खिलाफ है। यह पॉलिसी अमेरिका को भारत और चीन दोनों देशों में तनाव उत्पन्न करती है।
4. CAATS:- अगर अमेरिका का कोई मित्र देश भारत के प्रतिद्वंद्वी देश से मित्रता करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

भारत - चीन के अंतरराष्ट्रीय संबंध

परिचय:- भारत और चीन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मजबूत देश बनता जा रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारत और चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था जैसे सामान्य गुण को साझा करते हैं। अप्रैल 1950 को भारत चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के साथ राजनयिक संबंध बनाने वाला पहला गण समाजवादी देश बन गया। इसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में चीन का दौरा भी किए ताकि भारत और चीन के संबंधों को और भी मजबूत बनाया जा सके। 1962 में जब चीन और भारत के बीच सीमा संघर्ष चालू हुआ तब इन दोनों देशों के संबंध में दरार आ गई फिर उसके बाद 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था।

❖ चीन की भौगोलिक स्थिति एवं इतिहास

जनसंख्या की दृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और यह दुनिया की मजबूत आरती स्थिति बन रहा है। भारत और चीन के संबंधों को बनाने में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी भूमिका थी। आधुनिक समय में चीन दुनिया का पहला देश था जो एक समय में

कई देशों का उपनिवेश बना जो कि चीन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। डॉक्टर सनयात सेन ने एक पार्टी बनाकर बहुत ब्राजील का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जो पूंजीवाद विचारधारा के थे। 1971 की रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी का प्रभाव सबसे पहले चीन परंपरा और इसी क्रम में चीन में सीपीसी पार्टी का गठन हो गया। इसके बाद में साम्यवाद और पूंजीवाद में आपसी मतभेद शुरू हो गई जो कि 1940 तक सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई थी जिसका फायदा जापान को मिल गया। आजादी के बाद भारत में साम्यवादी नहीं होते हुए भी यू एस एस आर को ध्यान में रखते हुए सीपीसी को मान्यता दी और इसके बाद इस अवधारणा उत्पन्न हुई हिंदी चीनी भाई भाई और 1949 में चीन को मान्यता देने के लिए दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बन गए।

भारत चीन संबंधों का महत्व:-

- अगर भारत और चीन के संबंध मजबूत होते हैं तो भारत-पाक का भी संबंध अच्छा हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में चीन और पाक का संबंध कई देशों के मुकाबले बहुत ही मजबूत है।
- ऊर्जा सुरक्षा:- ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों में कई विदेशी कंपनियां कार्य कर रही हैं लेकिन अभी भी भारत की ऊर्जा सुरक्षित नहीं है। अगर दोनों देशों के संबंध अच्छे होते हैं तो भारत की ऊर्जा एशिया महाद्वीप में सुरक्षित हो जाएंगे।
- ग्लोबल वार्मिंग:- अभी वर्तमान में दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग का मंडरा रहा है जिस को बचाने के लिए भारत चीन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम बेसिक है जो ग्लोबल वार्मिंग संतुलन के लिए कार्य करता है। अगर दोनों देशों के संबंध मजबूत होते हैं तो दोनों देश आपस में मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा ले जाएंगे।
- BRICKS BANK:- अगर दोनों देशों के संबंध अच्छे होते हैं तो भारत एक ध्रुवीय विश्व को प्रति संतुलित करने में कामयाब हो जाएगा
- सूचना प्रौद्योगिकी:- यदि भारत और चाइना के संबंध बेहतर होते हैं तो विश्व की चौथी क्रांति को स्थापित करने में भारत-चीन एक अहम भूमिका निभा सकता

अध्याय - 6

जनसंख्या वितरण और प्रवास

जनसंख्या वृद्धि

प्लायोसीन काल (जब से मानव का पृथ्वी पर उद्भव हुआ है) से लेकर आज तक मानव जनसंख्या में वृद्धि असमान दर से हुई है, जिसे कई कारकों ने प्रभावित किया है। जब तक मानव आखेटक एवं संग्रहकर्ता था, तब तक जनसंख्या वृद्धि सीमित ही रही, लेकिन कृषि के विकास के कारण जनसंख्या वृद्धि तेज हुई और ई. में यह 30 करोड़ हो गई और 1750 ई. में 76 करोड़। तत्पश्चात् औद्योगिक क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न में अप्रत्याशित वृद्धि ला दी और 31 अक्टूबर, 2011 को ये 7 अरब हो गई। हालाँकि वर्तमान में हो रही जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिकांशतः विकासशील एवं गरीब देश जिम्मेदार हैं।

किसी भी स्थान पर जनसंख्या वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है

1. प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि (Natural Growth Rate) जब मृत्युदर जन्मदर अधिक हो जाती है।
2. स्थानान्तरण द्वारा जनसंख्या वृद्धि जब प्रवास (Migration) से उत्प्रवास (Emigration) अधिक बढ़ जाता है।

जनानुकीय संक्रमण सिद्धान्त (Theory of Demographical Transition) जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित है, जिसे थॉम्पसन एवं नोटेस्टीन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है। और ये चार चरण हैं, जिनसे होते हुए एक पशुपालक व कृषि समाज अन्ततः एक औद्योगिक व नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है, निम्नलिखित हैं

चरण	वृद्धि की अवस्था	जनानुकीय विशेषता
प्रथम	जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था	जन्म व मृत्यु दर दोनों ही उच्च
द्वितीय	तीव्र जनसंख्या वृद्धि या विस्फोटक वृद्धि की अवस्था	उच्च जन्मदर व निम्न मृत्यु दर
तृतीय	धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था	जन्म व मृत्यु दर दोनों में प्रशंसनीय कमी
चतुर्थ	स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था	जन्म दर व मृत्यु दर दोनों अत्यन्त निम्न

इस सिद्धान्त को भारत के सन्दर्भ में देखें तो निम्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं

1.	1901 से 1921	स्थिर जनसंख्या
2.	1921 से 1951	धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या
3.	1951 से 1981	जनसंख्या विस्फोट की अवस्था
4.	1981 से 2011	जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट की अवस्था

विश्व में जनसंख्या वितरण

विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यन्त ही विषम है और औसत घनत्व एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है। मकाओ द्वीप (चीन) का औसत करीब 21190 व्यक्ति प्रति किमी है। इसके विपरीत मंगोलिया में औसत घनत्व दो व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (ऐसे ही क्षेत्रों को वीरान क्षेत्र या जनशून्य प्रदेश कहा गया है) पाया

जाता है। इसके विपरीत अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों को मानवीय जमघट का क्षेत्र कहा जाता है, विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप को देखने से स्पष्ट होता है कि विश्व में मात्र 10% क्षेत्र में ही करीब 90% जनसंख्या रहती है और विश्व के 55% क्षेत्रफल में लगभग 5% जनसंख्या रहती है। कुछ ही क्षेत्रों में अधिकतर लोग रहते हैं और अधिकतर क्षेत्रों में कुछ ही लोग रहते हैं।

सघन घनत्व के क्षेत्र

विश्व में जनसंख्या के सघन घनत्व के पाँच क्षेत्र निम्नलिखित हैं

1. दक्षिण एशिया
2. दक्षिण पूर्व एशिया
3. पूर्वी एशिया
4. पश्चिमी यूरोप
5. पूर्वी उत्तर अमेरिका के तटीय क्षेत्र

दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल पाकिस्तान आदि देश एवं दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड, कम्बोडिया और वियतनाम, पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया सघन जनसंख्या वाले देश हैं। पश्चिम यूरोप में औद्योगिक विकास के कारण सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि एशिया के भागों में उपजाऊ मृदा, जल की सुलभता आदि ने जनसंख्या के संकेन्द्रण को बढ़ावा दिया है।

यू. एस. ए. व कनाडा के पूर्वी तटों पर भी जनसंख्या का संकेन्द्रण है। अप्लेशियन पर्वतमालाओं के पश्चिम की ओर विस्तार देर से शुरू हुआ था, इसलिए तटीय भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश

क्रम	देश	जनसंख्या (जुलाई 2015 तक)
1.	चीन	1,361,512,535
2.	भारत	1,251,695,584
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका	321,362,789
4.	इण्डोनेशिया	255,993,674
5.	ब्राजील	204,259,812
6.	पाकिस्तान	199,085,847
7.	नाइजीरिया	181,562,056
8.	बांग्लादेश	168,957,745
9.	रूस	146,268,288
10.	जापान	126,919,659

न्यून जनघनत्व के क्षेत्र

विरल जनसंख्या के प्रदेश पाँच प्रकार के हैं और विरल प्रदेश के अन्तर्गत ही विश्व के प्रतिकूल वातावरण के क्षेत्र हैं।

उच्च अक्षांशीय क्षेत्र

यह कड़ाके की सर्दी, पाला, हिमचादर और तुषार वातावरण का क्षेत्र है, जहाँ सूर्य की किरणें महीनों दृष्टिगत नहीं होती हैं। सूर्य की किरणें भी उतनी प्रभावशाली नहीं हैं कि वे जीवाणु क्रियाओं (Bacterial Activities) को कायम रख सकें। परिणाम यह है कि यह वीरान जनसंख्या का क्षेत्र है।

उत्तरी कनाडा, उत्तर पूर्वी साइबेरिया, ग्रीनलैण्ड और कनाडा के अनेक उत्तरी द्वीप वीरान हैं। साइबेरिया के बेरिंग तट पर एस्किमो रहते हैं। साइबेरिया में यूकाघिर तथा कनाडा में भी एस्किमो रहते हैं।

इस विशिष्ट समूह का सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

क्या है NSG?

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) 48 देशों का समूह है। NSG की स्थापना 1975 में की गई थी।

परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक इसी के दायरे में आता है।

भारत में इस समय परमाणु संयंत्र लगाए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है।

भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उसका उद्देश्य बिजली तैयार करना है और NSG की सदस्यता मिलने से उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन NSG की सदस्यता के लिये भारत को कई शर्तों को भी मंज़ूर करना होगा, जैसे कि परमाणु परीक्षण न करना आदि।

भारत का सामान्य ज्ञान

अध्याय - 1

स्थिति एवं विस्तार

भौतिक विशेषताएं

भारत की स्थिति व सीमाओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु -

- भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिन्द महासागर के शीर्ष पर तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्द्ध में पड़ता है।
- भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है।
- भारत का देशान्तर विस्तार 68°7' पूर्वी देशान्तर से 97°25' पूर्वी देशान्तर तक है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का सातवा स्थान है। यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 है।
- जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है।
- भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिन्द महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा प में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) तथा पाक जलडमरू मध्य (Palk Strait) है।
- प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिन्दु-कन्याकुमारी है।
- भारत का सुदूर दक्षिणतम बिन्दु - इन्दिरा प्वाइंट (गेटनिकोबार में है)।
- भारत का उत्तरी अन्तिम बिन्दु- इंदिरा कॉल है।

देश की चतुर्दिक सीमा बिन्दु

- दक्षिणतम बिन्दु- इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेट निकोबार द्वीप)
- उत्तरी बिन्दु- इन्दिरा कॉल (जम्मू-कश्मीर)
- पश्चिमी बिन्दु- सर क्रीक (गुजरात)
- पूर्वी बिन्दु-वालांगू (अरुणाचल प्रदेश)
- मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा- कन्याकुमारी (तमिलनाडु)

स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य

पाकिस्तान (4)	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
अफगानिस्तान (1)	जम्मू और कश्मीर
चीन (5)	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
नेपाल (5)	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, प बंगाल, सिक्किम
भूटान (4)	सिक्किम, प बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश
बांग्लादेश (5)	प बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
म्यांमार (4)	अरुणाचलप्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम

पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार

भारत-बांग्लादेश सीमा	4098 किमी.
भारत-चीन	3239 किमी.
भारत-पाक सीमा	3310 किमी.
भारत-नेपाल सीमा	1761 किमी.
भारत- म्यांमार सीमा	1643 किमी.
भारत-भूटान सीमा	587 किमी.

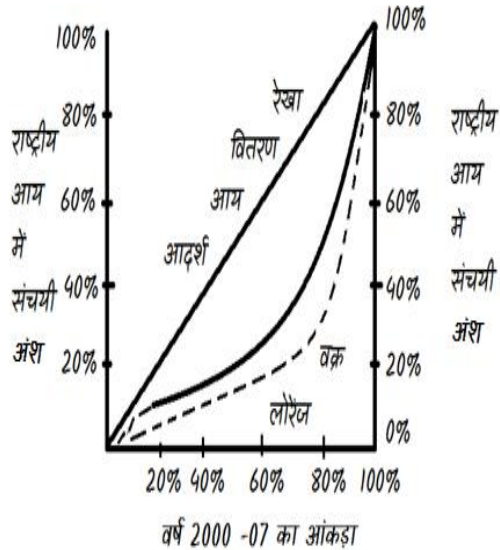
भौतिक विशेषताएँ

- कर्क रेखा (Tropic of Cancer) भारत के बीचो-बीच से गुजरती है।
- भारत को पाँच प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है।
 - उत्तर का पर्वतीय प्रदेश
 - उत्तर का विशाल मैदान
 - दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार
 - समुद्र तटीय मैदान
 - थार का मरुस्थल
- भारत का मानक समय (Indian Standard Time) इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। जिसका देशान्तर 82°30' पूर्वी देशान्तर है। (वर्तमान में मिर्जापुर) यह ग्रीनविच माध्य समय (GMT) से 5 घण्टे 30 मिनट आगे है।
- भारत की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किमी. तथा पूर्व से पश्चिमी तक 2933 किमी. है।
- भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किमी. लम्बी है जबकि स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी. है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किमी. है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है।

शीर्ष पाँच क्षेत्रफल वाले राज्य	
राज्य	क्षेत्रफल वर्ग किमी.
राजस्थान	3422239
मध्यप्रदेश	308245
महाराष्ट्र	307713
आन्ध्र प्रदेश	275069
उत्तर प्रदेश	240928

शीर्ष पाँच भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले	
जिला	क्षेत्रफल वर्ग किमी.
कच्छ	45652
लेह	45110
जैसलमेर	38428
बाड़मेर	28387
बीकानेर	27284

- जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केन्द्र-शासित प्रदेश है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केन्द्र-शासित प्रदेश है।
- जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश है।
- जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केन्द्र शासित प्रदेश है।
- मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है।
- राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है।
- मध्य प्रदेश में वन (जंगल) सबसे अधिक है।
- भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है बंगाल की खाड़ी में 223 तथा अरब सागर में 25 द्वीप हैं।
- भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इन्दिरा प्वाइंट है और यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार (Great Nicobar) द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिन्दु इन्दिरा कॉल जम्मू-कश्मीर में स्थित है।
- पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
- पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
- भारत के जिन राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है वे हैं- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।



- (i) यदि पुराने रेखा के आपेक्ष नए लॉरेंज का वक्र नीचे हो गई है तो गरीबों का अंशदान और बंट गया है। अतः गरीबों में वृद्धि हुई।
- (ii) यदि लॉरेंज वक्र का अंतराल आदर्श आय वितरण रेखा से बढ़ता है तो विषमता बढ़ता है।

(iii) Bricks देशों में

1- आर्थिक विषमता कम है।

5- अधिक विषमता है।

- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ - साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल ऊंची होती जाए तो ऐसी आर्थिक प्रगति को समावेशी आर्थिक समृद्धि कहते हैं।
- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ - साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल कम होती जाए तो ऐसी आर्थिक परिवर्तन को गैर समावेशी आर्थिक संवृद्धि कहते हैं।
- भारत में 2006-07-2011-12 (11 वीं FYP) में गैर-आर्थिक समृद्धि दिखती है।
- More Rapid More inclusive and development Growth (12 FYP ka शीर्षक)
- Inclusive Growth (11 FYP का शीर्षक)

अध्याय - 7

केंद्र सरकार की योजनाएँ

एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड योजना

- केन्द्रीय पभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 30 जून, 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है।
- खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card- ONORC) योजना की शुरुआत की है। ONORC योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमति देती है।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (kusum)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम** (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) को शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

लक्ष्य

- तीनों घटकों को शामिल करने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है।

योजना के लाभ

- इस योजना से ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्राप्त होगा।
- किसान उत्पादित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई ज़रूरतों के लिये कर पाएंगे तथा अतिरिक्त ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों को बेच पाएंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
- इस योजना से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव

पड़गा। योजना के तीनों घटकों को सम्मिलित करने से पूरे वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 27 मिलियन टन की कमी आएगी।

- घटक बी के अंतर्गत सौर कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीज़ल की बचत होगी। इससे कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
- इस योजना में रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। स्व-रोजगार में वृद्धि के साथ इस योजना से कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिये 6.31 लाख रोजगार के नए अवसरों के सृजित होने की संभावना है।

जल जीवन मिशन

- जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है।
- जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है
- इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य की गई है।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 के दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है / यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन सामान किस्तों में लाभान्वित किसानों की बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है।

व्यापारियों और स्वरोजगार योजना

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रांची में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है।
- यह पेंशन योजना उन व्यापारियों (दुकानदारों / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- इस राष्ट्रव्यापी शुरुआत से इस योजना के तहत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।
- सरकार ने व्यापारियों (दुकानदारों/ खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है।
- यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है।
- लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार)/ पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% योगदान होगा और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिए, एक लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान करना आवश्यक है।
- यह पेंशन योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
- वर्ष 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा 2023-2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान - धन योजना लॉन्च किया है।
- इसका शुभारम्भ 12 सितम्बर, 2019 को राँची (झारखंड) में किया गया
- इस योजना के पात्र 18 - 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपया या उससे कम है।
- लाभ: 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना

- राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है।

खाद्य सुरक्षा मित्र योजना

- खाद्य सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के अवसर पर की गई।
- यह योजना खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने, लाइसेंस और पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए छोटे एवं मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों का समर्थन करती है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम - आशा)

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई थी।

सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना)

- इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 25 सितम्बर 2017 यानी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर की थी।
- सरकार ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी जैसे

राज्यों के सभी गाँव में बिजली पहुंचाना ही अपनी मुख्य जिम्मेदारी समझी।

- इस योजना के तहत सरकार ने तय किया है कि जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है वहां इसके तहत हर घर को एक सोलर पैंक दिया जाएगा, जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा होगा।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (Operation Digital Blackboard-ODB) की शुरुआत की है।
- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में डिजिटल/स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी कक्षाएँ शामिल होंगी।

प्रधान मंत्री जी - वन योजना

- जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना (जी-वन योजना) के तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो लिग्नोसेल्यूलॉजिक बायोमास (Lignocellulosic Biomass) और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक (Feedstock) का इस्तेमाल करती हैं।
- इस योजना के तहत 2 परियोजनाओं को वाणिज्यिक स्तर पर और 10 दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल परियोजनाओं के प्रदर्शन स्तर पर दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।

आत्म निर्भर भारत अभियान 2020

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की चर्चा की गई तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई।
- भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 'संकल्प' (SANKALP- Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) तथा 'स्ट्राइव' (STRIVE -Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) नामक दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है।

- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों सहित हाशिये पर जीवन जी रहे समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है।

श्रेयस योजना :-

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resources Development) ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills-SHREYAS) कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना से युवाओं को रोजगार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान करने में सहायता मिलेगी।
- SHREYAS कार्यक्रम में तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी राज्यों से सहयोग की भी अपेक्षा की गई है।

अर्थ परियोजना :-

- जहाजरानी मंत्रालय (Ministry Of Shipping) के अनुसार, अर्थ-गंगा परियोजना (Arth-Ganga Project) से गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council- NGC) की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 'नमामि गंगे' परियोजना को 'अर्थ-गंगा' जैसे एक सतत् विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम :-

प्रधानमंत्री ने पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-mouth disease-FMD) और ब्रूसेल्लोसिस (Brucellosis) के नियंत्रण तथा उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme-NADCP) की शुरुआत की है।

खुरपका-मुंहपका रोग

गाय, भैंस और हाथी आदि में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह खासकर दूध देने वाले जानवरों के लिये अधिक हानिकारक होता है।

ब्रूसेल्लोसिस

ब्रूसेल्लोसिस एक जीवाणु संक्रामक रोग है जो जानवरों के साथ-साथ इंसानों को भी प्रभावित करता है। यह दूषित भोजन जैसे- कच्चा मांस और अस्वास्थ्यकर दूध का उपभोग करने से होता है।

निर्विक योजना :-

- केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिये ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात ऋण विकास योजना- निर्विक योजना की घोषणा की है।
- निर्विक योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार निर्यातकों को सुगमता से ऋण प्रदान करेगी और 90% मूल राशि और ब्याज दरों को कवर करेगी।
- निर्यातकों के बैंक खाते के नुकसान के लिए, ईसीजीसी द्वारा बैंकों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

कृषि डाक प्रसार सेवा :-

- यह केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है, जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुंचाएं जा रहे हैं।
- खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है चिह्नित प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुंचाना है।
- वर्तमान में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 जिलों में शुरू की गई है। इसे कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना :-

- इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई है।

अध्याय - 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A से अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्त्व हैं।

- (1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।
- (2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।
- (3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है।
- (4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधि के शासन की स्थापना होती है।
- (5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।
- (6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।
- (7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।
- (8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।
- (9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

- (1) मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं। अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर

सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित हैं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से सम्बंधित हैं।

(3) मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं।

(5) ये राज्य के प्राधिकार को कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नहीं कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढांचे में परिवर्तन कर सके। (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

मौलिक अधिकारों की आलोचना -

- (1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।
- (2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर हैं।
- (3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते हैं।
- (4) आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।
- (5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं।
- (6) संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमें कमी कर सकते हैं।
- (7) मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रक्रिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

(I) समता का अधिकार :- (अनु.14-18)

(i) विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है। विधि के समक्ष समता से आशय है, विधि सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा।

विधि के समक्ष समता की निम्न लिखित विशेषताएं होती हैं -

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन)

विधि से ऊपर नहीं होगा।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद हैं।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलो एवं दीवानी मामलो से मुक्त होंगे।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे - UNO, ADB, WB,

अनु. 12 राज्य -	अनु. 13
(i) संघ सरकार एवं संसद	कोई भी विधि जो मौलिक
(ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल	अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी।
(iii) स्थानीय प्राधिकरण/प्राधिकारी	विधि
(iv) सार्वजनिक अधिकारी	(i) स्थाई विधि- संसद एवं विधानमंडल द्वारा निर्मित।
अन्य वे निजी संस्थाएँ जो राज्य के लिए कार्य करती हो।	(ii) अस्थायी विधि- जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करे।
	(iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि
	(iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो।

IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलो से मुक्त होंगे।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देन है।

विधियों के समान संरक्षण से आशय है। "समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नहीं होता।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओं के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिशेद

अनु. 15 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसमें प्रावधान है कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नानाघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है।

इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्य SC, ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।

इसमें प्रावधान है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।

लोक नियोजन के सम्बन्ध में अवसर की समता (अनु- 16)

अनु. 16 में यह प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलों में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है -

(1) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों की विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।

(2) किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।

(3) विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा कुछ राज्यों में महिलाओं के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान हैं।

अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनु.-17)

संविधान के अनु. 17 में यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध होगा। इसके संबंध में दंड वह होगा ही संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। संविधान में अस्पृश्यता के संबंध में विशेष व्यवस्था नहीं की गई।

अतः संसद के द्वारा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम-1955 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधि. के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलापों को अपराध माना गया।

- सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना।
- किसी भी तरीके में अस्पृश्यता का बचाव करना।
- सार्वजनिक स्थल जैसे - दुकान, होटल, मनोरंजन के साधन आदि के उपभोग से रोकना।
- सार्वजनिक संस्थान जैसे - शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय आदि में प्रवेश से वंचित करना।
- अनुसूचित जाति का जातिसूचक शब्द के माध्यम से अपमान करना।
- किसी व्यक्ति को कोई सेवा अथवा वस्तु देने से इंकार करना।

- उपर्युक्त नियम राज्य एवं व्यक्ति दोनों से सम्बंधित हैं। अर्थात् न तो राज्य के द्वारा और ना ही व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जायेगा।
- उपर्युक्त कानून के सम्बन्ध में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को इस सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करे।

उपाधियों का अंत (अनु. 18)-

संविधान के अनु. 18 में उपाधियों के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रावधान हैं -

अध्यक्षता करता है। साथ ही, वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राष्ट्रपति के माध्यम से उसे पद से हटा सकता है।

- संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों से अवगत करवाये तथा संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी उसके समक्ष प्रस्तुत करे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा संसद के बीच की मुख्य कड़ी है।

किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet)

- सह कैबिनेट कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। 'आंतरिक कैबिनेट' या किचन कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है।
- इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने दो से चार प्रभावशाली, पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अपितु इसके बाहर के, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं।

अध्याय - 9

भारत का संघीय सिस्टम

• भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

'संसद' शब्द अंग्रेजी के 'पार्लियामेंट' का हिन्दी रूपान्तर है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Parler' (जिसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना) और लैटिन शब्द 'Parliamentum' से हुई है। लैटिन भाषा-भाषी लोग इसे भोजन के बाद की जाने वाली वार्ताओं के लिए प्रयोग करते थे। यह वार्ता पादरी लोग अपने-अपने पूजा गृहों में करते थे और इन वार्ताओं को 13वीं सदी की एकलवादी सरकारों ने 'गरिमाविहीन' कहकर निंदा की थी। मैथ्यू पेरिस ऑफ सेन्ट अल्बान्स, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1239 और पुनः 1249 ई. में 'Parliament' शब्द का पादरियों, अर्ल्स, और लार्डों की महान परिषद् के लिए प्रयोग किया था। तब से यह शब्द विभिन्न मुद्दों एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने का मंच सुलभ कराने वाली सभाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। एक विचारधारा और जनता की प्रतिनिधिक संस्था के रूप में संसद युगों से उन सिद्धांतों की चिरस्थायी स्मारक रही है जिनका हम नैतिक और राजनीतिक रूप से सदैव समर्थन करते रहे हैं। जब तक संसद जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तथा उसे पूरा करने वाला निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी, तब तक यह देश में अशांति, असंतोष एवं अराजकता को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम बनी रहेगी। संभवतः इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'संसदीय सरकार के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा।'

भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की

तुलनात्मक योग्यता है। परम्परागत रूप में ऐसा माना जाता है कि लोक सभा में जनता द्वारा चुनकर ऐसे लोग आते हैं जो लोकप्रिय तो होते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे अत्यंत योग्य एवं विद्वान ही हों, इसमें ऐसे लोग भी प्रायः आते रहे हैं जिनके पास अत्यंत मामूली किताबी ज्ञान भी न रहा हो, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, अतः उसके सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य तथा जानकार होंगे, इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।

विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यहां से पारित हो जाने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। चूंकि अधिकांश विधेयक पहले लोकसभा में आते हैं और बाद में वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अतः विधेयकों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।

प्रथम और द्वितीय सदन कहने का एक आधार और भी है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए भी लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।

अनु. 79 में राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बताया गया है क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका स्थगन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। कोई भी विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही 'विधि' के रूप धारण करता है। संसद से पारित हुए विधेयकों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि, राष्ट्रपति के उस पर अपनी अनुमति न दे दी हो।

लोकसभा

प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। लोकसभा के गठन के सम्बन्ध में संविधान के दो अनुच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है। इसे 'लोकप्रिय सदन' भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा

में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सन् 2026 तक बनी रहेगी।

परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।

लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो।
3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो) 4. वह पागल / दिवालिया न हो।

नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।

लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती।

अध्याय - 1

शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय

शिक्षा मनोविज्ञान :-

दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा + मनोविज्ञान।

सर्वप्रथम शिक्षा क्या है :- शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से (संस्कृत भाषा) हुई है जिसका अर्थ होता है, सीखना।

शिक्षा के तीन आयाम -

शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम

*जॉन डी. वी. के अनुसार :- त्रिध्रुवीय -

1. शिक्षक
2. छात्र
3. पाठ्यक्रम

*जॉन एडम्स के अनुसार :-

द्वि ध्रुवीय - शिक्षक ----- छात्र

- एज्युकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है।
- एडुकेटम का अर्थ - अंदर से बाहर निकालना।
- शिक्षा का संकीर्ण अर्थ :- वह शिक्षा जो निश्चित समय व स्थान से संबंधित होती है।
- शिक्षा का व्यापक अर्थ :- वह शिक्षा जो समय व स्थान से संबंधित नहीं होती है, अपितु आजीवन चलती रहती है।

3 R = लिखना, पढ़ना, गणना करना। (Reading, Writing, Arthamatic)

4 H = मानसिक विकास - Head

भावात्मक विकास - Heart

क्रियात्मक विकास - Hand

शारीरिक विकास -Health

3 H का श्रेय / वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय - पेस्टोलोजी।

परिभाषाएं :-

= **स्वामी विवेकानंद** :- मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

= **महात्मा गाँधी** :- शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है।

= **जॉन डी. वी** :- शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है।

= **डुनेविले के अनुसार** :- शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव व अनुभव आ जाते हैं, जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं।

= **पेस्टोलोजी** :- शिक्षा व्यक्ति की जन्माजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास है।

शिक्षा की विशेषताएं :-

- जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।
- शिक्षा सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है।
- शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकती है।
- शिक्षा आदर्शात्मक / मूल्यात्मक है।

शिक्षा के प्रकार :-

1. औपचारिक - स्कूल,
2. अनौपचारिक - परिवार,
3. निरौपचारिक - पत्राचार।

मनोविज्ञान

दोस्तों, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ-साथ पशु-पक्षियों के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है।

- "मनोविज्ञान" शब्द का शाब्दिक अर्थ है- मन का विज्ञान अर्थात् मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के Psychology शब्द से बना है।
- 'साइकॉलोजी' शब्द की उत्पत्ति यूनानी(लैटिन) भाषा के दो शब्द 'साइकी(Psyche) तथा लोगस(Logos) से मिलकर हुई है। 'साइकी' शब्द का अर्थ -आत्मा है जबकि लोगस शब्द का अर्थ -अध्ययन या ज्ञान से है इस प्रकार से हमने समझा की अंग्रेजी शब्द "साइकॉलोजी" का शाब्दिक अर्थ है- आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान।

दोस्तों, अब हम मनोविज्ञान की कुछ विचारधाराओं को समझते हैं -

1. मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान- यह मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा है जिसका समय आरम्भ से 16वीं सदी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक प्लेटो, अरस्तू, देकार्त, सुकरात आदि को माना जाता है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। साइकॉलोजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी "आत्मा के अध्ययन" की ओर इंगित करता है।

2. मनोविज्ञान मन/मस्तिष्क का विज्ञान - यह मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा है जिसका समय 17 वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी, थॉमस रीड आदि थे। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के

अस्वीकृत हो जाने पर मध्ययुग (17वीं शताब्दी) के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्ययुग के दार्शनिक पेम्पोलॉजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

3. मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान - यह मनोविज्ञान की तीसरी विचारधारा है जिसका समय 19वीं शताब्दी माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक विलियम वुट, ई.बी.टिचनर, विलियम जेम्स, आदि को माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया। टिचनर, विलियम जेम्स, विलियम वुट आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है।

4. मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान - यह मनोविज्ञान की नवीनतम विचारधारा है जिसका समय बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से आज तक माना जाता है। यह मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा के समर्थक वाट्सन, वुडवर्थ, स्किनर आदि को माना जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वाट्सन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस विचारधारा को ही एक सर्वमान्य विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मनोविज्ञान की परिभाषाएं

वुडवर्थ - "सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। फिर इसने अपने मन को त्यागा। फिर इसने चेतना खोई। अब वह व्यवहार को अपनाये हुए है।

अध्याय - 2

कक्षा में अध्यापकों की भूमिका

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एडम्स कहते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा द्विमुखी रूपी प्रक्रिया की दो धुरियाँ हैं, एक है 'शिक्षक' तथा दूसरी है 'शिक्षार्थी'। अतः शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

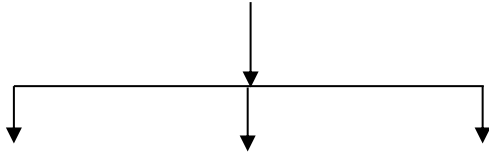
किसी भी विषय के शिक्षण की सफलता अध्यापक पर ही निर्भर करती है। विद्यालयी कक्षाओं में बालकों के लिए अध्यापक ही प्रेरणा और ज्ञान का सहज एवं सुलभ स्रोत है। एक शिक्षक को अपने दायित्वों का भलीभाँति निर्वाह करने तथा शिक्षण में सफलता करते हुए निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है -

- विषय का पूर्ण ज्ञान - शिक्षक को अपने विषय का नवीनतम पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह आत्मविश्वास के साथ प्रभावी अध्यापन करवा सके। प्रतिभावान एवं सृजनात्मक विद्यार्थियों की शंकाओं व कठिनाइयों का निवारण सहजता व स्पष्टता से कर सके तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं की गहन अध्ययन के लिए सन्दर्भित पुस्तकों / साहित्य का स्वाध्यायकरने हेतु मार्ग - निर्देशित एवं अभिप्रेरित करने में सक्षम हो।
- प्रभावशाली व्यक्तित्व - अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। उसके आचार - विचार, रहन - सहन, खान - पान एक आदर्श ही होना चाहिए। ऐसा अध्यापक ही बालकों पर प्रभाव डाल सकता है और उनका सर्वांगीण विकास कर सकता है।
- सहनशीलता - शिक्षक को छात्रों को कोई तथ्य, सिद्धांत या सूझ समझाते समय बहुत ही धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। शिक्षक में ज्ञान संचय की इच्छा होनी चाहिए। अध्यापक को

कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाकर उन्हें ठीक रास्ते पर ले आना चाहिए।

- अध्यापन कार्य में रुचि - शिक्षक को स्वयं में हीनता और उदासीनता की भावना को कभी भी उत्पन्न नहीं देना चाहिए तथा अध्यापन कार्य एवं गहन अध्ययन में रुचि लेनी चाहिए। उसे अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए।
- आत्मविश्वास - अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आत्मविश्वास से शिक्षक अध्यापन कार्य में स्वाभाविक ढंग से समर्थ हो सकता है। आत्मविश्वास के अभाव में विषय में माहिर होने के बावजूद भी शिक्षक उसे सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा सकता।
- परिश्रमी तथा कर्तव्यपरायण - अध्यापक को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों को उचित रूप से शिक्षा में यथाशक्ति उसे कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसे गम्भीरतापूर्वक अपना पाठ भलीभाँति सोच समझकर तैयार करके ही पढ़ाना चाहिए तथा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिए।
- नवीनतम विधि - प्रविधियों का ज्ञान - इस वैज्ञानिक युग में शिक्षक को नवीनतम विधि - प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए तथा आधुनिकतम शैक्षिक दृश्य - श्रव्य शिक्षण - अधिगम सामग्री प्रयुक्त करनी चाहिए। साथ ही बाल - मनोविज्ञान का ज्ञान भी शिक्षक के लिए आवश्यक है।
- सहायक सामग्री का प्रयोग एवं स्वयं निर्माण की कुशलता - उचित शिक्षण के लिए आवश्यक है कि अध्यापक उपयोगी सहायक साधनों का आवश्यकतानुसार उचित प्रयोग करना जानता हो। शिक्षण संबंधी सभी प्रकार की दृश्य - श्रव्य सामग्री को प्राप्त करने, प्रयोग करने एवं उससे पूर्ण शिक्षण के लाभ उठाने में अध्यापक पूरी तरह से योग्य होना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की सहायक सामग्री का तथा अन्य साज -

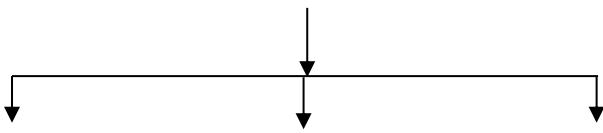
बाल्यावस्था (6-12 वर्ष)



पूर्व बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था

(16-8 वर्ष) (8-10 वर्ष) (10-12 वर्ष)

किशोरावस्था (12-18 वर्ष)



पूर्व किशोरावस्था मध्यकिशोरावस्था उत्तरकिशोरावस्था

(12-14 वर्ष) (14-16 वर्ष) (16-18 वर्ष)

महत्वपूर्ण कथन :-

न्यूमैन के अनुसार :-

5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है।

फ्रायड के अनुसार :-

बालक को जो कुछ भी बनाना होता है, वह प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है।

रुसो के अनुसार :-

बालक के हाथ, पैर, नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं।

थॉर्नडाईक के अनुसार :-

3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्द्धस्वप्न अवस्था में होते हैं।

क्रो एण्ड क्रो के अनुसार :-

20 वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है।

गुडएनफ के अनुसार :-

बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा प्रथम तीन वर्षों में हो जाता है।

शारीरिक विकास शैशवावस्था में -

1. शैशवावस्था अंग्रेजी भाषा के in fancy शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के Infast से बना है। जो In + Fast से तात्पर्य है नहीं बोलने की अवस्था कहा जाता है। इस समय में बालक ज्यादातर रोने का कार्य करता है। जो निश्चक माना जाता है।
2. शैशवावस्था मानव विकास की आधारशिला एवं नींव तैयार होती है। इस काल को जीवन का आधार काल अथवा जीवन का आदर्श काल कहा जाता है।
3. शैशवावस्था के काल में बालक/बालिका में संचय की प्रवृत्ति पायी जाती है। जिस कारण इसे जीवन का संचयी काल कहा जाता है।
4. इसका समय जन्म - 6 वर्ष तक होता है। जिसमें किसी भी बालक का शारीरिक विकास अन्य विकास की अपेक्षा तीव्र होता है।

भार (Weight)

शैशवावस्था में जन्म से लेकर अंतिम अवस्था अर्थात् 6 वर्ष की आयु तक बालको का भार बालिकाओं की अपेक्षा अधिक हो जाता है।

लम्बाई - जन्म के समय किसी बालक की लम्बाई $20\frac{1}{2}$ इंच तथा बालिकाओं की लम्बाई 20 इंच के आसपास होती है। किन्तु दोनों की लम्बाई में बहुत अधिक, अन्तर नहीं पाया जाता है।

- लेकिन शैशवावस्था के अन्तर्गत अन्तिम समय में बालक की लम्बाई बालिका की अपेक्षा कुछ अधिक हो जाती है।

सिर एवं मस्तिष्क - शैशवावस्था के काल में जन्म के समय बच्चे के सिर का विकास कुछ शरीर के विकास के $\frac{1}{4}$ हो जाता है। जिस कारण

बालक का सिर उसके शरीर की अपेक्षा अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है। और बालक मासूम लगता है।

- जन्म के समय शिशु के सिर का कुछ भार लगभग 350gm के आसपास है।

दांत (Teeth)-

- बाल विकास की प्रक्रिया में किसी भी बालक का जन्म के पूर्व दांत बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। लेकिन दांत निकलने की प्रक्रिया जन्म के पश्चात् (8/9 माह में) प्रारम्भ होती है।
- किसी भी बालक या बालिका में जन्म के समय कोई भी दांत नहीं होता है। लेकिन जन्म से (6-7) माह में सबसे पहले नीचे के दांत निकलना प्रारम्भ होते हैं।
- किसी भी बालक में एक वर्ष की अवस्था तक लगभग छः अस्थायी दांत निकलते हैं। साथ ही (4-5) वर्ष की अवस्था में किसी भी बालक अथवा बालिका में कुल 20 अस्थायी दांत विकसित हो जाते हैं। जो क्षय होकर निकल जाते हैं।

हड्डिया [BONES] - जन्म के समय में नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 पायी जाती है और हड्डिया (Ca) से निर्मित होती है। जिसमें फोस्फोरस (P) मजबूती प्रदान करता है।

मांसपेशियाँ - शैशवावस्था के कार्यकाल में शारीरिक विकास के अन्तर्गत किसी भी बालक में मांसपेशियों का विकास कुल शरीर के भार के लगभग 23% तक हो जाता है।

हृदय की धड़कन - शैशवावस्था में जन्म किसी भी बालक के हृदय में धड़कन लगभग (140 P.M.) होती है। जो शैशवावस्था के अंतिम समय अर्थात् लगभग 6 वर्ष की आयु के आसपास (100 P.M.) हो जाती है।

बाल्यावस्था (Childhood)

बाल्यावस्था के काल के प्रारम्भिक काल में अर्थात् लगभग 9 वर्ष की अवस्था में पूर्व शैशवावस्था का शारीरिक विकास का प्रक्रम है। वह तीव्रता बनी रहती है। लेकिन उत्तरकालीन बाल्यावस्था में बालक तथा बालिका के विकास प्रक्रम में परिपक्वता आ जाती है। जिस कारण इस अवस्था को परिपाद काल कहते हैं।

बाल्यावस्था में बालक बालिका से आगे रहता है। लेकिन उत्तरकालीन समय तक बालिका का विकास बालक से आगे होता है।

भार [weight] बाल्यावस्था के लगभग 6 वर्ष के समय भार बालक तथा बालिका का भार 16kg हो जाता है। तथा 12 वर्ष की अवस्था के आसपास भार लगभग 29kg के आसपास होता है।

- प्रारम्भिक अवस्था में बालको का भार बालिका से अधिक होता है। लेकिन अन्तर कालीन बाल्यावस्था तक बालिकाओ का भार बालको से अधिक हो जाता है।
- लम्बाई - बाल्यावस्था के काल में शैशवावस्था की अपेक्षा लम्बाई में कुछ कम वृद्धि होती है। प्रारम्भिक शैशवावस्था में बालक बालिका से अधिक लम्बा होता है।

लेकिन उत्तरकाल की अवस्था तक बालिकाओ की लम्बाई बालको की अपेक्षा अधिक हो जाती है।

नोट - फिर भी दोनों में 2-3 इंच से अधिक अन्तर नहीं होता।

सिर एवं मस्तिष्क - बाल्यावस्था में बालक/बालिकाओ के सिर के आकार में क्रमशः कुछ कम परिवर्तन होते हैं। अन्तिम समय पर बालक, बालिका के मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। जिस कारण इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास सर्वाधिक होता है।

हड्डिया (Bones) - बाल्यावस्था में अन्तिम समय तक बालक तथा बालिकाओ में हड्डियों की

- मानसिक विकास के आधार पर ही छात्रों के द्वारा तर्क, चिन्तन एवं खोज सम्बन्धी गतिविधियाँ सीखी जाती हैं

अध्याय - 4

अधिगम (सीखना)

अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न परिक्षेत्रों में केवल सीखने के रूप में प्रयोग में लायी जाती है। जो व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में सीखने, सिखाने दोनों रूपों को स्पष्ट करती है।

अधिगम की प्रक्रिया के पश्चात बालक को यह ज्ञान हो जाता है। क्या सत्य है अथवा क्या असत्य है, सही क्या गलत है।

कोई बालक एवं बालिका अधिगम की प्रक्रिया के पूर्व ही विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अधिगम के पश्चात उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाते हैं।

अधिगम अंग्रेजी का Learning का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ है आगे की और बढ़ना।

अधिगम की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जाता है।

K	B	B
knowledge	Behaviour	Believe
ज्ञान	व्यवहार	विश्वास या मूल्य

Change in Learning

1. ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है।
2. व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
3. विश्वास या मूल्यों में परिवर्तन ही अधिगम है।

अधिगम की प्रक्रिया में किसी बालक में परिपक्वता होती है। साथ ही अधिगम की प्रक्रिया के व्यवहार से प्रदर्शित होती है।

अर्थ :- व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है।

परिभाषाएँ :-

= गेट्स व अन्य के अनुसार :- प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।

= मॉर्गन - किंग के अनुसार :- अभ्यास / अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है।

= क्रो एण्ड क्रो के अनुसार :- आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है।

= वुडवर्थ के अनुसार :- सीखना विकास की प्रक्रिया है।

= स्कीनर के अनुसार :- व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है।

= स्कीनर के अनुसार :- व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है।

= गिलफोर्ड के अनुसार :- व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।

अधिगम की विशेषताएँ

1. अधिगम ही विकास है।
2. अधिगम ही समायोजन है।
3. अधिगम अनुभवों का संगठन है।
4. अधिगम स्व उद्देश्य है।
5. अधिगम सृजन शील है।
6. अधिगम क्रियाशील है।
7. अधिगम व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों होते हैं।
8. अधिगम में उद्दीपक तथा अनुक्रिया का सम्बंध होता है।

नोट - अधिगम की प्रक्रिया के अन्तर्गत नि० लि० प्रमुख 4 तत्व होते हैं।

उद्दीपक (Stimulus)	अनुक्रिया (Response)
अभिप्रेरणा (Motivation)	पुनर्बलन Reinforcement

अभिप्रेरणा - अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का सम्बंध एक ऐसी प्रक्रिया से है। जो किसी भी बालक के व्यावहार निर्धारण एवं संचालन से संबंधित होती है विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में अभिप्रेरणा वह आन्तरिक शक्ति है। जो उसे किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है।

किसी भी बालक के व्यवहार बाद यह प्रदर्शित होता है अधिगम की प्रक्रिया में बालक अभिप्रेरित है अथवा नहीं।

Need → Drive → Motive → Goal

आवश्यकता चालक/अन्तर्नोद उत्प्रेरक लक्ष्य

अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक :-

1. व्यक्तिगत कारक :-

*अभिप्रेरणा :- अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक।

अधिगम की शुरुआत अभिप्रेरणा से होती है।

*इच्छा शक्ति - प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुये भी सीख जाना।

*बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य।
अरस्तु - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।

*ध्यान रुचि, स्मृति, तत्परता

*आयु तथा परिपक्वता

*समय व थकान - समय सुबह का।

2. शिक्षक सम्बन्धी कारक :-

*सीखने की विधि का प्रभाव।

*शिक्षण सूत्र

3. कार्य कारक:-

*कठिन कार्य /कार्य की समानता /कार्य का अर्थपूर्ण होना /कार्य की लम्बाई /कार्य की रोचकता

*विषय -वस्तु का स्वरूप -उपयोगी और रुचिपूर्ण होने पर जल्दी सीखता है।

4. विधि सम्बन्धी कारक :-

*अभ्यास /करके सीखना /सूझ द्वारा सीखना /समय सारणी /पूर्ण या आंशिक निर्देशन।

अधिगत की प्रक्रिया के सोपान :-

अभिप्रेरण / प्रेरक = लक्ष्य / उद्देश्य = बाधा
= विभिन्न अनुक्रियाएं, = पुनर्बलन = व्यवहार में

परिवर्तन।

अधिगम व परिपक्वता में अन्तर :-

1. अधिगम अर्जित है, परिपक्वता जन्मजात है
2. अधिगम जीवनपर्यन्त चलता है, जबकि परिपक्वता किशोरावस्था तक चलती है।
3. अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है, जबकि परिपक्वता के लिए नहीं।

अधिगम की विधियां :-

- **करके सीखना :-** सबसे उपयुक्त विधि है।
- निरीक्षण करके सीखना।
- परीक्षण करके सीखना।
- सामुहिक विधि द्वारा सीखना। जैसे :- सेमीनार, वाद - विवाद, कार्यशाला, योजना विधि (प्रोजेक्ट)।
- **मिश्रित विधि द्वारा सीखना -** पूर्ण विधि व आंशिक विधि का मिला - जुला रूप मिश्रित विधि है।

अधिगम के सिद्धांत

- पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अथवा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत Classical opriante Theory, Conditioning Theory

- थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास व श्रुति का सिद्धांत, संयोजन वाद का सिद्धांत, सम्बंधवाद का सिद्धान्त
- स्किनर का सक्रीय अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसुत, अनुबंधन सिद्धांत
- कॉलर का अर्तदीप्ती एवं सूझ का सिद्धांत
- गेने का सोपानिकी क्रम सिद्धान्त
- हल का सरलीकरण एवं प्रचलन का सिद्धांत
- टॉलमैन का चिह्न अधिगम or भुल भुलेया का सिद्धांत
- वाटसन का व्यवहार अधिगम सिद्धांत
- गुथरी का समीपता का सिद्धांत
- वुडवर्थ का उत्तेजना प्राणी सिद्धांत
- ब्रूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत

थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत (1913)

- अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया।
- थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सम्बंध कहा जिस आधार पर इसे सम्बंधवाद या SR Bond Theory कहते हैं।
- इस सिद्धान्त में बिल्ली पर शोधकार्य करते हुए भूखी बिल्ली को पिजरे में बंद कर दिया और उसके बाद भोजन रख दिया।
- भोजन को देखकर बिल्ली ने उछल-कूद की जिससे इसका हाथ लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया जिससे बिल्ली ने भोजन खा लिया।
- यह प्रक्रिया अधिगम लगातार दोहराया जिससे अधिगम प्रक्रिया में लिया गया समय तथा असफल प्रयासों की संख्या निरंतर कम होती है।
- अपने इस परीक्षण में थॉर्नडाइक ने बताया कि भोजन (उद्दीपक) उछल कूद (अनुक्रिया) के मध्य जब एक सम्बंध बन जाता है। तो उस विशिष्ट उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर अधिगकर्ता बार-बार प्रक्रिया दोहराता है जिससे अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

अध्याय - 6

बुद्धि एवं सृजनात्मकता

सामान्य अर्थ :- बुद्धि विचार करने व समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होती है।

परिभाषा :-

बुडवर्थ के अनुसार :- बुद्धि कार्य करने की एक विधि है।

टर्मन के अनुसार :- बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है।

अल्फ्रेड बिने के अनुसार :- बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है - ज्ञान, अविष्कार, निर्देश, आलोचना।

स्टर्नबर्ग के अनुसार :- बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है।

थर्स्टन के अनुसार :- बुद्धि विभिन्न वस्तु व विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है।

रायबर्न के अनुसार :- बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है।

वेक्सलर / वेशलर के अनुसार :- बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है।

बुद्धि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जटिलता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है। कि प्राचीन समय से लेकर आज तक बुद्धि की सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं दी जा सकी।

2. बुद्धि की सर्वप्रथम संकल्पना देने का कार्य यूनानियों ने किया जिन्होंने बुद्धि को शक्ति का मनोविज्ञान माना।

3. इसके पश्चात बुद्धि की सर्वप्रथम परिभाषा 19 वीं शताब्दी में ऐविगहास ने दी जिनके अनुसार बुद्धि संकलन और मिश्रण की एक योग्यता है।

4. इसके पश्चात बिने ने बुद्धि सम्बन्धी अध्ययन में संशोधन करके सन 1911 ई० में बताया कि बुद्धि बोध पर आधारित उद्देश्य पूर्ण तथा सही निर्णयों पर आधारित खोज परकता के रूप में

5. इसी समय अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के आधार पर निम्नलिखित तीन प्रकार के बालक स्वीकार किये।

- पहला- प्रतिभाशाली बालक
- दूसरा- सामान्य बालक

तीसरा- मंदबुद्धि बालक

बुद्धि की विशेषताएं -

- बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है।
- बुद्धि का विकास जन्म से लेकर मध्य किशोरावस्था तक होता है।
- स्पीयरमैन के अनुसार :- 14 - 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है।
- टर्मन के अनुसार :- 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है।
- बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
- बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है।
- बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता है।
- बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना तथा स्मरण करने की योग्यता है।

बुद्धि के प्रकार-

बुद्धि के प्रकार दो व्यक्तियों ने बताये हैं :-

1. थार्नडाइक
2. गैरिट

थार्नडाइक व गैरिट ने बुद्धि के तीन प्रकार बताये हैं

1. मूर्त / गामक बुद्धि

2. अमूर्त बुद्धि

3. सामाजिक बुद्धि

1. मूर्त / गामक बुद्धि :- इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों से होता है, इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। जैसे - कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता।
2. अमूर्त बुद्धि :- इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जैसे - लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, पेंटर।
3. सामाजिक बुद्धि :- नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं।

द्विव तत्व बुद्धि का सिद्धांत

बुद्धि के द्विव कारक सिद्धान्त का प्रतिपादन स्पीयर मैन ने सन 1904 में किया था।

- इनके अनुसार की बालक में दो कारक होते हैं
- G- FACTOR - GENERAL FACTOR (सामान्य कारक)
- S FACTOR - SPECIFIC FACTOR (विशिष्ट कारक)
- किसी भी बालक को सामान्य कारक एक जैसे मिलते हैं जब कि विशिष्ट कारक अनेक मिलते हैं।
- सामान्य कारक (G) सभी को जन्म से मिलता है लेकिन सभी के जन्मजात कारक की मात्रा में अंतर होता है। और जन्मजात है। यह कारक अपरिवर्तन होता है।
- जबकि विशिष्ट कारक अर्जित होता है। जिस कारण ये परिवर्तन होता है।
- बुद्धि के प्रत्येक विशिष्ट कारक का सम्बन्ध सामान्य कारक से होता है।
- किसी भी बालक की बुद्धि का कोई विशिष्ट कारक जितने अच्छे तरीके से सामान्य कारक से सम्बंधित होता है। यह बालक इस विशिष्ट क्षेत्र में उतना ही अधिक निपुण होता है।

इसके पश्चात बिनने ने बताया कि बुद्धि के अंतर्गत किसी समस्या को समाधान इसके विषय में तर्क करना तथा निश्चित निर्णय पर पहुंचना उसकी आवश्यक क्रियाएँ हैं।

टर्मन के अनुसार

अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है।

वर्त के अनुसार

बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है।

बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत

- इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिनने ने सन 1911 में किया था।
- इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख समर्थकों में टर्मन, स्टर्न ऐविगहास का नाम प्रसिद्ध है।
- अल्फ्रेड बिनने के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि अविभाज्य इकाई है।
- कोई भी बालक जब मानसिक कार्य करता है तो इसकी सम्पूर्ण बुद्धि सक्रिय होकर एक समय में एक ही प्रकार का कार्य संचालित करती है।
- कुछ समय पश्चात इस सिद्धान्त का खंडन करते हुए मनोवैज्ञानिक ने बताया कि यह सत्य नहीं है। कि जो बालक गणित में निपुण है। वह कला में निपुण नहीं हो सकता अर्थात् हमारी बुद्धि एक ही समय में अनेक प्रकार के कार्यों को कर सकती है।

बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत

बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थानडाईक ने किया। थानडाईक के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है।

- किसी बालक की बुद्धि में असंख्य कारक होते हैं। और हर एक कारक का दूसरे कारक से कोई लेना देना नहीं होता है।

विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक - (D) डेविड वेक्सलर

- बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता :-
सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन।
शैक्षिक सफलता का पूर्वानुमान।
व्यक्तित्व का मूल्यांकन।
कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक।
शैक्षिक - व्यवसायिक निर्देशन देने में सहायक।

संवेगात्मक बुद्धि

- संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान - जॉन मेयर (अमेरिका) पीटर सेलोवी, 1990 पुस्तक - What is EI
- संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक - डेनीयल गोलमैन (अमेरिका) ने 1995 में अपनी पुस्तक "संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधि महत्वपूर्ण क्यों"

संवेगात्मक बुद्धि के तत्व :-

- आत्मजागरूकता
- आत्मनियंत्रण
- अभिप्रेरणा
- सहानुभूति
- सामाजिक कौशल।

संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता ।

- जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायक?
- जीवन को सुखमय तथा शान्तिप्रिय बनाने में सहायक।
- समायोजन स्थापित करने में सहायक।
- भविष्यवाणी करने में सहायक।
- भावनाओं को समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने में सहायक।

- मूल्यांकन में सहायक।
- संवेगों की अभिव्यक्ति में सहायक।

संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान :-

- योग्यता आधारित प्रतिमान - जॉन मेयर पीटर सेलोवी।
- गुण आधारित प्रतिमान - K.V. पेड्राईडस।
- मिश्रित प्रतिमान - डेनीयल गोलमैन।

सृजनात्मकता का अर्थ

भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा सृजनात्मकता को भिन्न-भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मकता की कुछ परिभाषाएँ निम्नवत हैं।

- डीहान तथा हेविंगहर्स्ट के अनुसार "सृजनात्मकता वह विशेषता है, जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है। अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया।"
- डेवहल के शब्दों में "सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है।"
- क्रो एवं क्रो के अनुसार "सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है।"
- विलसन के शब्दों में "सृजनात्मकता मानव मन की वह शक्ति है जो संबंधों को प्रत्यावर्तित कर नये विषयवस्तु का निर्माण करती है तथा नये संबंधों का निर्माण करती है।"
- गिलफोर्ड के शब्दों में "सृजनात्मकता प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है- विचार, वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, नवीन योजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हो।"

राजस्थान का विविध

राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व उपनाम एक नजर

➤	व्यक्ति	उपनाम
➤	हरिभाऊ उपाध्याय	द साहब
➤	जयनारायण व्यास	लोकनायक, धुन के धनी, मस्साब, लक्कड़ और कक्कड़, शेर
➤	स्वामी केशवानन्द	शिक्षा संत (बचपन का नाम बिरमा)
➤	अमरचन्द भाटिया	राजस्थान का भामाशाह (1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान का मंगलकार्य)
➤	गणेश लाल व्यास	उस्ताद
➤	जुगलू किशोर चतुर्वेदी	दूसरा जवाहर लाल नेहरू
➤	भोगी लाल पांडिया	वागड़ का गाँधी
➤	मोती लाल तेजावत	बावजी, आदिवासियों का मसीहा
➤	लक्ष्मी कुमारी चुडावत	रानी जी
➤	सत्यभामा	गाँधी जी की मानस पुत्री
➤	गोकुल भाई भट्ट	राजस्थान का गाँधी, भरतपुर का बुढ़ा शेर
➤	विजय सिंह	किसान आन्दोलन का जनक (बचपन का नाम भूपसिंह)
➤	मोहन लाल सुखाड़िया	आधुनिक राजस्थान का निर्माता, मेवाड़ का राजनैतिक सितारा
➤	जमना लाल बजाज	गुलाम नम्बर 4 एवं गाँधीजी का पांचवा
➤	अर्जुन लाल सेठी	उग्र क्रान्ति का जनक राज का दक्षिणी
➤	माणिक्य लाल वर्मा	मेवाड़ का गाँधी
➤	रीमा दत्ता	राजस्थान की जलपरी
➤	सीमा मिश्रा	राजस्थान की लता
➤	राजेन्द्र सिंह	पानी वाले बाबा
➤	कर्नल टाड़	घोड़े वाले बाबा, राजस्थानका इतिहास का पितामह
➤	कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला	पटरी वाले बाबा
➤	किशन लाल जोशी	रेल वाले बाबा

➤	कैलाश साखला	टाईगर मेन
➤	अशोक टाक	कमल मन
➤	राव चन्द्रसेन	मारवाड का प्रताप, भुला-बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी
➤	उम्मेद सिंह	आधुनिक मारवाड़ का पिता, मारवाड़ का कर्णधार
➤	सुरेश मिश्रा	पालीवाल टाईगर
➤	राय सिंह	राजपुताने का कर्ण (मुंशी देवी प्रसाद ने कहा)
➤	परमानन्द चोवल	भैंसों का चितेरा
➤	गोपाल लाल बाबा	भीलों का चितेरा
➤	सोभाभमल गहलौत	नीड़ का चितेरा
➤	कृपाल सिंह सेखावत	बल्यू पॉटरी का जनक, राजस्थान की धरती का चितेरा
➤	सूरजमल जाट	अफलातून जाटों का प्लेटों
➤	बांके दास	राजस्थान का बीरबल
➤	दादू दयाल	राजस्थान का कबीर
➤	विजय दान देथा	राजस्थान का शेक्सपियर, विज्जी
➤	शिव चन्द भरतिया	राजस्थान का भारतेन्दु
➤	जानकी लाल भाण्ड	मंकी मेन, राजस्थान का बहस्पिया
➤	नीलू	राजस्थान की श्रीदेवी
➤	संत दुर्लभ	राजस्थान की नृसिंह
➤	मोयंद दास	मारवाड़ का चाणक्य
➤	गहलोत मेलसी	राजस्थान का अबुल फजल (मुंशी देवी प्रसाद ने कहा)
➤	रावलूणकरण	कलयुग का कर्ण
➤	दामोदर दास व्यास	राजस्थान का लोह पुरुष
➤	अशोक गहलोत	युवा मुख्यमंत्री मारवाड़ का गाँधी
➤	मीराबाई	राजस्थान की राधा
➤	जोसुन्दर सिंह बरहत	राजस्थान का चंद्रशेखर
➤	गंगापत लाल दागी	गीन्गला रा बापू
➤	राव चुडा	मेवाड़ का भीष्म पितामाह

➤	मानसिंह	फर्जन्द, राजा (अकबर द्वार प्रदत्त)	कछवाहा वंशीय शासक
➤	जयसिंह	मिर्जा राजा (शहाजहाँ द्वार प्रदत्त)	कछवाहा वंशीय शासक
➤	बप्पा रावल	काल भोज	गहलोत वंशीय शासक
➤	विग्रराज चतुर्थ	बीसलदेव / कवि बान्धव	चौहान वंशीय शासक
➤	पृथ्वीराज तृतीय	रायपिथौरा दलपूगल	चौहान वंशीय शासक
➤	मिहिर भोज	भोज प्रथम, आदिवरहे, प्रयास	प्रतिहार वंशीय शासक
➤	राव चुडा	भीष्म पितामाह	मेवाड़ का सिसोदिया शासक

राजस्थान के प्रमुख युद्ध एक नजर

➤	युद्ध	सन	शासक	विजेता शासक
➤	तराईन का प्रथम युद्ध	1191	मोहम्मद गौरी व प्रथ्वीराज चौहान	प्रथ्वीराज चौहान
➤	तराईन का द्वितीय युद्ध	1192	प्रथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी	मोहम्मद गौरी
➤	रणथम्भौर का युद्ध	1301	हम्मीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी	अलाउद्दीन खिलजी
➤	चित्तौड़ का युद्ध	1303	रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी	अलाउद्दीन खिलजी
➤	सिवाना का युद्ध	1308	शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी	अलाउद्दीन खिलजी
➤	जालौर का युद्ध	1311	कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी	अलाउद्दीन खिलजी
➤	सारंगपुर का युद्ध	1446	महाराणा कुम्भा व महमूद खिलजी	महाराणा कुम्भा
➤	गामरण का युद्ध	1518	राणा सांगा व महमूद खिलजी	राणा सांगा
➤	खातोली का युद्ध	1518	राणा सांगा व इब्राहिम लोदी	राणा सांगा
➤	बाड़ी का युद्ध	1519	राणा सांगा व इब्राहिम लोदी	राणा सांगा
➤	खानवा का युद्ध	1527	बाबर व राणा सांगा	बाबर
➤	पहेबा का युद्ध	1541	राव जैतसी व मालदेव	मालदेव

➤ सामेल (जैतारण) का युद्ध	1544	मालदेव व शेरशाह	शेरशाह
➤ हल्दीघाटी का युद्ध	1576	अकबर व महाराणा प्रताप	अकबर
➤ राजमहल का युद्ध	1747	ईश्वरी सिंह व माधोसिंह	ईश्वरी सिंह
➤ बगरु का युद्ध	1748	ईश्वरी सिंह व माधोसिंह	माधोसिंह
➤ भटवाड़ा का युद्ध	1761	शत्रुसाल व माधोसिंह	शत्रुसाल
➤ तुंगा का युद्ध	1787	प्रताप सिंह व विजयसिंह और मराठा नेता महादजी सिंधिया	प्रताप सिंह व विजयसिंह
➤ आउवा का युद्ध	1857	कुशल सिंह व अंग्रेजी सेना, जोधपुर सेना	कुशल सिंह

राजस्थान के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी

➤ स्वतन्त्रता सेनानी	स्थान
➤ स्वामी केशवानन्द	सीकर
➤ जयनारायण व्यास	जोधपुर
➤ केसरी सिंह बारहठ	भीलवाड़ा
➤ अर्जुन लाल सेठी	जयपुर
➤ रामनारायण चौधरी	सीकर
➤ लादूराम	सीकर
➤ जमना लाल बजाज	सीकर
➤ बालमुकुन्द बिस्सा	जोधपुर
➤ आदित्येन्द्र	भरतपुर
➤ हीरा लाल शास्त्री	जयपुर
➤ माणिक्य लाल वर्मा	भरतपुर
➤ भामाशाह	पाली

➤ मोती लाल तेजावत	उदयपुर
➤ भोगी लाल पण्ड्या	डूंगरपुर
➤ सागरमल गोपा	जैसलमेर
➤ स्वामी गोपालदास	चुरू
➤ गोकुल भाई भट्ट	सिरोही
➤ नरोत्तम लाल जोशी	झुंझुनू
➤ वैद्य मधाराम	बीकानेर
➤ हरिभाऊ उपाध्याय	ग्वालियर (म.प्र.)
➤ गोपाल सिंह खरव	अजमेर
➤ डॉ नगेन्द्र सिंह	डूंगरपुर
➤ विजय सिंह पथिक	बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)
➤ ज्वाला प्रसाद शर्मा	अजमेर

राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा लिखित पुस्तकें

➤ स्वतन्त्रता सेनानी	स्थान
➤ जयनारायण व्यास	पीप (अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका)
➤ सागरमल गोपा	आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुण्डाराज
➤ माणिक्य लाल वर्मा	मेवाड़ का वर्तमान शासन
➤ विजय सिंह पथिक	व्हाट आर इंडियन स्टेट्स
➤ केसरी सिंह	दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, स्त्री रानी, चेतावणी रा चुंगट्या
➤ हीरा लाल शास्त्री	प्रत्यक्ष जीवनशास्त्र (आत्मकथा)
➤ हरिभाऊ उपाध्याय	युगधर्म, सर्वोदय की बुनीयाद, ओदुम्बर व नवजीवन (समाचार पत्र) (समाचार पत्र)।